

# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

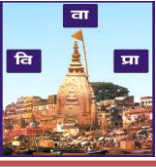
वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 12.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, जनवार्ता, न्यायाधीश, राष्ट्रीय सहारा, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, परफेक्ट मिशन, समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि० 12.12.2024

## शमन शुल्क जमा न करने वालों पर हो कार्रवाई

वाराणसी। वीडिए सभागार में बुधवार को शमन मानचित्रों की समीक्षा अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने की। उन्होंने स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं पर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जिम्मेदारी जोनल अधिकारी को दी। बैठक में बताया कि जोन वन के शिवपुर, सिकरौल में शमन शुल्क की मद में कुल 15,32,483 रुपये जमा कराए हैं। अप्रैल से अब तक कुल शमन धनराशि 4,98,19,357 रुपये जमा कराई। उन्होंने कहा कि सील प्रकरणों की जांच और बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। जन शिकायतों को अधिकतम एक सप्ताह के अंदर निस्तारित करें। अनियोजित विकास कार्यों और अवैध प्लॉटिंग का चिन्हांकन कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण कराएं। कार्यों में लापरवाही मिलने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। ब्यूरो





# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

अमर उजाला-दि० 12.12.2024

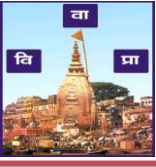
## भेलूपुर में राजबन्धु स्वीट्स के पड़ोस में अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडिए की टीम ने मंगलवार को भेलूपुर वार्ड के राजबन्धु स्वीट्स के पड़ोस में मयंक भार्गव का निर्माण सील किया है।

वीडिए के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता आरके सिंह और सोनू कुमार ने बताया कि मयंक भार्गव ने मानचित्र नहीं स्वीकृत कराया था। इसके बावजूद सेकंड फ्लोर पर निर्माण करा रहे थे। शटरिंग का काम चल रहा था। कार्रवाई के मामले की जानकारी भेलूपुर थाने की पुलिस को दी गई। कहा गया कि अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। राजबन्धु स्वीट्स का कोई भवन सील नहीं किया गया था।

मामले में मयंक भार्गव के खिलाफ ही कार्रवाई हुई थी। दरअसल, तकनीकी गलती की वजह से राजबन्धु स्वीट्स के निर्माण सील होने की सूचना छप गई थी। ब्यूरो





# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

अमर उजाला –दि० 12.12.2024

## वीडीए ने अवैध निर्माण पर दर्ज कराई एफआईआर

वाराणसी। सील भवन में दोबारा निर्माण कराने के आरोप में वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने बुधवार को सराय सिताब राय मोहल्ले की रूबी दरक्शा, कहकशां अरशद, नूरअफ्शा बानो, इरशाद आलम के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वीडोए के अवर अभियंता राजू कुमार ने चौक थाने की पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि भवन का नक्शा पास कराया गया था। इसके बावजूद निर्माण कराया जा रहा था। इसे वीडोए की टीम ने सील किया था, फिर भी निर्माण कराया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इससे पहले वीडोए ने अवैध निर्माण कराने वालों को नोटिस दिया था। ब्यूरो

दैनिक जागरण –दि० 12.12.2024

## बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण दो स्थानों पर वीडोए ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी : बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण को लेकर विकास प्राधिकरण गंभीर है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही दो निर्माण को विकास प्राधिकरण की टीम ने बुधवार को सील कर दिया। निर्माणकर्ताओं को बार-बार नोटिस देने के बावजूद वे रात में चोरी से कार्य करा रहे थे।

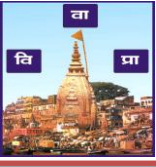
वार्ड भेलूपुर में चेतसिंह किला के पास आरिफ जमाल निर्माण करा रहे थे। इनके खिलाफ नगर योजना व विकास अधिनियम के अंतर्गत कारण बताओ और विकास कार्य रोकने के लिए नोटिस की कार्यवाही की गई थी। चेतसिंह किला के पास शहनवाज बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करा रहे थे। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग



चेतसिंह किला के पास वीडोए ने सील किया अवैध निर्माण • प्राधिकरण

ने चेतावनी दी कि वीडोए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें नहीं तो प्राधिकरण सख्त कार्रवाई करेगा। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता सोनू कुमार आदि रहे।





# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

दैनिक जागरण –दि० 12.12.2024

## वीडीए ने जमा कराया 15 लाख शमन शुल्क

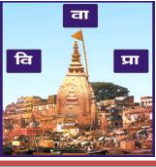
जागरण संवाददाता, वाराणसी : विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का विकास प्राधिकरण ने दिसंबर के निर्देश दिया। साथ ही सील प्रकरणों की जांच एवं बेसमेंट खाली कराते प्रथम सप्ताह में शमन शुल्क मद में हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित 15 लाख 32 हजार जमा कराया। कराने का निर्देश दिया गया। बैठक बुधवार को अपर सचिव डा. में संयुक्त सचिव व प्रभारी गुडाकेश शर्मा ने जोन-1 की समीक्षा अधिकारी भवन परमानन्द यादव, बैठक कर स्वीकृत शमन पत्रावली जोनल अधिकारी, अवर अभियन्ता के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा आदि उपस्थित रहे। न करने वाले निर्माणकर्ताओं के

हिन्दुस्तान –दि० 12.12.2024

## चेतसिंह किला के पास दो अवैध निर्माण सील

वाराणसी। वीडीए ने बुधवार को दो अवैध निर्माण सील किए। शिवाला में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए चेतसिंह किला के पास दो निर्माणों को सील किया गया। पूर्व में इन भवनस्वामियों को नोटिस दी गई थी। इसके बावजूद निर्माण जारी रखने पर कार्यवाही की गई। इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, जेई सोनू कुमार मौजूद रहे।





# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

आज –दि० 12.12.2024

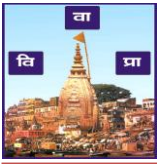
## कार्य में लापरवाही पर नपेंगे अभियंता और लिपिक-अपर सचिव

अपर सचिव डाक्टर गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में शिवपुर और सिकरौल वार्ड के कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी। जिसमें अपर सचिव ने कर्मचारियों को बकाया धनराशि जमा कराने, शमन मानचित्र स्वीकृत करने के अलावा सील प्रकरण, बेसमेंट खाली कराने, पार्किंग व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। एक आंकड़े के १ से सात दिसंबर तक एक सप्ताह के अंदर की गयी वसूली की समीक्षा की। जिसमें की बताया गया कि १५ लाख ३२ हजार ४८३ विप्रा कोश में जमा किये जा चुके हैं। जबकि गत माह अप्रैल से अब तक चार करोड़ ९८ लाख १९ हजार ३५७ शमन शुल्क जमा किये जा चुके हैं। अपर सचिव ने अभियंताओं को चेतावनी दी कि ध्वस्तीकरण कार्य में लापरवाही करने पर काररवाई की जायेगी एवं अवैध प्लानिंग और निर्माण को लेकर निरीक्षण किया गया। इस कार्य में शिथिलता बरतने पर संबंधित अभियंता और कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिकूल काररवाई की जायेगी। बैठक में परमानंद यादव, सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, किरन सिंह एवं अन्य कर्मचारी मौजूद थे।

## भेलूपुर में निर्माणाधीन भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर अभियंताओं ने बुधवार को भेलूपुर वार्ड में चेतसिंह किला के पास भवन संख्या बी ३/१३१ पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के बाद कारीगरों को भगा दिया। भवन स्वामी से अवर अभियंता ने मानचित्र स्वीकृति की रिपोर्ट मांगी जिसे वह नहीं दिखा सके। अवैध निर्माण को लेकर पूर्व में भी भवन स्वामी को नोटिस भेजी गयी थी लेकिन वह चोरी-छिपे अवकाश के दिनों में रात्रि में निर्माण कार्य जारी रखा। शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता सोनू कुमार ने पुलिस की सहयोग से भवन को सील कर दिया और उसका निर्माण कार्य संबंधित थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया।





# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन—दि० 12.12.2024

## वीडीए के अपर सचिव ने किया जोन 01 की समीक्षा बैठक

### परफेक्ट मिशन

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के सभागार में बुधवार को अपर सचिव डॉक्टर गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन 01 की समीक्षा बैठक किया गया। बैठक के दौरान लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन वन के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 01.12.2024 से 07.12.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि- 15,32,483.00/ रुपया जमा कराया गया है, तथा इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि 4,98,19,357.00/ रुपए जमा कराई गई है।

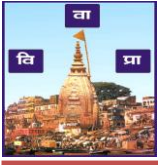
स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क ना जमा करने वाले निर्माण कर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी तथा प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने का भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जांच एवं



बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया एवं सचेत किया गया की विलंबतम एक सप्ताह में जन शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। शहर में हो रहे और अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही बैठक में

अपर सचिव द्वारा संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि सौंपे गए कार्यों के प्रति कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाए अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। समीक्षा बैठक में संयुक्त सचिव परमानंद यादव, जोन वन के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियन्ता प्रिया अग्रहरि, विन्यास लिपिक धर्मेन्द्र कुमार सिंह, भवन लिपिक किरण सिंह एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।





# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पत्रा लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा —दि० 12.12.2024

## वीडीए ने दो अवैध निर्माणों को किया सील

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश क्रम में जोन-चार की प्रवर्तन टीम ने कुल दो अवैध निर्माण को सील किया। भेलूपुर वार्ड में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आरीफ जमाल पुत्र यूनूस व अन्य ने चेतसिंह किला के पास अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे। इसके विरुद्ध पूर्व में विकास कार्य रोकने के लिए नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता की तरफ से चोरी-छिपे तथा रुक-रुककर रात में निर्माण किया जा रहा था। बुधवार को उपरोक्त अनधिकृत निर्माण को सील किया गया। उक्त के क्रम में वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए शहनवाज व अन्य ने चेतसिंह किला के पास अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे। इसके खिलाफ नोटिस की कार्यवाही की गयी थी उसके बाद भी कार्य जारी रखने पर निर्माण को सील कर दिया गया।

राष्ट्रीय सहारा —दि० 12.12.2024

## मानचित्र स्वीकृति को लेकर की बैठक

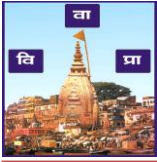
वाराणसी (एसएनबी)। वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा के अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में शमन मानचित्र स्वीकृत व मानचित्र शुल्क जमा के संबंध में बैठक की गयी। जोनवार माह नवम्बर में जमा शमन शुल्क व मानचित्र स्वीकृत का विवरण जोन एक में शमन शुल्क 42 लाख 25 हजार 780 तथा कुल 19 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जोन-दो में प्राप्त शमन शुल्क 89 लाख 24

अच्छे काम करने  
वालों को मिला  
प्रशस्ति पत्र

हजार 450 रुपए तथा कुल 25 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जोन तीन द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 85 लाख 65 हजार 692 रुपए तथा कुल 31 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जोन चार द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 44 लाख 02 हजार 516 रुपए तथा कुल 11 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जोन पांच द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 24 लाख 93 हजार 531 रुपए तथा कुल सात मानचित्र स्वीकृत किये गये।

इन्हें मिला प्रशस्ति पत्र : जोन-3 द्वारा सर्वाधिक मानचित्र जमा कराने एव जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति; जोन-दो द्वारा सर्वाधिक शुल्क जमा कराये जाने पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता वर्तिका दूबे एवं सर्वाधिक निर्गत मानचित्र में जोन-4 के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता राकेश सिंह को सचिव द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया व उनके कार्य की सराहना भी की गयी।





# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि० 12.12.2024

## वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी विकास प्राधिकरण के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ० गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 की समीक्षा

माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि ₹0-4,98,19,357.00 जमा करायी गयी है। स्वीकृत शमन पत्रावली

विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लानिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही / ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में परमानन्द यादव, संयुक्त सचिव / (प्रभारी अधिकारी, भवन) तथा जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता, सुश्री प्रिया अग्रहरि, धर्मेन्द्र कुमार सिंह, विन्यास लिपिक, श्रीमती किरन सिंह, भवन लिपिक एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।



बैठक की गयी। समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 01.12.2024 से 07.12.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि ₹0-15,32,483.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में

के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि

ज्ञानशिखा टाइम्स—दि० 12.12.2024

## सचिव वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में शमन मानचित्र स्वीकृत व मानचित्र शुक्ल जमा के सम्बन्ध में बैठक

वाराणसी। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि जोन-1 द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 42 लाख 25 हजार 780 तथा कुल 19 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जोन-2 द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 89 लाख 24 हजार 450 रुपए तथा कुल 25 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जोन-3 द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 85 लाख 65 हजार 692 रुपए तथा कुल 31 मानचित्र स्वीकृत किये गये जोन-4 द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 44 लाख 02 हजार 516 रुपए तथा कुल 11 मानचित्र स्वीकृत किये गये जोन-5 द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 24 लाख 93 हजार 531 रुपए तथा कुल 07 मानचित्र स्वीकृत किये गये उक्त विवरण के अनुसार जोन-3 द्वारा सर्वाधिक मानचित्र जमा कराने एवं जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, जोन-2 द्वारा

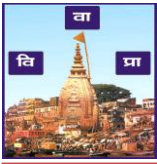
सर्वाधिक शुल्क जमा कराये जाने पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता वर्तिका दूबे एवं सर्वाधिक निर्गत मानचित्र में जोन-4 के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियन्ता राकेश सिंह को सचिव महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया व उनके कार्य की सराहना भी की

गयी। उन्होंने निर्देश दिया कि जोनल व जेई ज्यादा से ज्यादा मानचित्र स्वीकृत कराये व शमन शुक्ल जमा कराये। सचिव द्वारा निर्देश दिया गया है कि आई.जी.आर.एस के शिकायत पर जोनल व जेई मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाए। बैठक के दौरान अपर सचिव डॉ० गुडाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव परमानंद यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार व सभी जोन के जोनल अधिकारी व कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

जनवार्ता –दि० 12.12.2024

## वीडीए : जोन 3 व 2 के अफसरों का सम्मान



वाराणसी (जनवार्ता)। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निदेशानुसार सचिव वेद प्रकाश मिश्रा के अध्यक्षता में प्राधिकरण सभागार में शमन मानचित्र स्वीकृत व मानचित्र शुक्ल जमा के सम्बन्ध में बैठक की गयी।

माह नवम्बर में जोन-1 द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 42 लाख 25 हजार 780 तथा कुल 19 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जोन-2 द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 89 लाख 24 हजार 450 रुपए तथा कुल 25 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जोन- 3 द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 85 लाख 65 हजार 692 रुपए तथा कुल 31 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जोन- 4 द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 44

लाख 02 हजार 516 रुपए तथा कुल 11 मानचित्र स्वीकृत किये गये। जोन-5 द्वारा प्राप्त शमन शुल्क 24 लाख

**सर्वाधिक शमन मानचित्र स्वीकृत और मानचित्र शुक्ल जमा कराने पर सौरभ देव संजीव कुमार की सचिव ने की प्रशंसा**

93 हजार 531 रुपए तथा कुल 07 मानचित्र स्वीकृत किये गये। उक्त विवरण के अनुसार जोन-3 द्वारा सर्वाधिक मानचित्र जमा कराने एवं जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, जोन-2 द्वारा सर्वाधिक शुल्क जमा कराये जाने पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता वर्तिका

दूवे एवं सर्वाधिक निर्गत मानचित्र में जोन-4 के जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता राकेश सिंह को सचिव द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया व उनके कार्य की सराहना भी की गयी। सचिव द्वारा निर्देश दिया गया है कि जोनल व जेई ज्यादा से ज्यादा मानचित्र स्वीकृत कराये व शमन शुक्ल जमा कराये। आई.जी.आर.एस के शिकायत पर जोनल व जेई मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाए। बैठक के दौरान अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार व सभी जोन के जोनल अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

न्यायाधीश –दि० 12.12.2024

## वीडीए अपर सचिव डॉ० गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 की समीक्षा बैठक की गयी



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में 11. दिसम्बर को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ० गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित

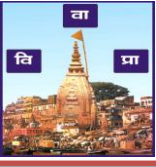
शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 01.12.2024 से 07.12.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रु०-15,32,483.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रु०-4,98,19,357.00 जमा करायी गयी है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी

प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। उक्त समीक्षा बैठक में श्री परमानन्द यादव, संयुक्त सचिव / (प्रभारी अधिकारी, भवन) तथा जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता, सुश्री प्रिया अग्रहरि, श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, विन्यास लिपिक, श्रीमती किरन सिंह, भवन लिपिक एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि० 12.12.2024

## वाविप्रा जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गई



वाराणसी।वार्ड-भेलूपुर के अन्तर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आरीफ जमाल पुत्र यूनुस व अन्य द्वारा भवन सं०-बी-3/131, चेतसिंह किला के पास अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध पूर्व में 30प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम

1973 की धारा-27 के अंतर्गत कारण बताओ एवं धारा-28 के अन्तर्गत विकास कार्य रोकने हेतु नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था तःअतः आज दिनांक 11/12/2024 को उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण पर 30प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (क) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी। उक्त के क्रम में वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत कराए शहनवाज व अन्य द्वारा भवन सं०-बी-3/131, चेतसिंह किला के पास अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था

जिसके विरुद्ध पूर्व में 30प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अंतर्गत कारण बताओ एवं धारा-28 के अन्तर्गत विकास कार्य रोकने हेतु नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी-छिपे तथा रुक-रुक कर रात्रि में निर्माण कार्य किया जा रहा था तःअतः आज दिनांक 11/12/2024 को उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण पर 30प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-28 (क) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता सोनू कुमार उपस्थित रहे।

